

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY)

Frequently Asked Questions (FAQs)

(downloaded from the website of Employees Provident Fund Organization- EPFO)

1. What is UAN?

Answer: Aadhaar authenticated unique account number allotted to an Employee by Employees' Provident Fund Organization.

2. What is "Electronic Challan Cum Return"?

Answer: Online monthly submission of contributions by employers.

3. What is Gross Wage?

Answer: Gross wage means all emoluments received by the employee as per the terms of the employment contract.

4. Who is First Timer?

Answer: Any employee,

- with date of joining in an establishment between 01.08.2025 and 31.07.2027 (both dates inclusive) and
- who was not a contributing member of Employees Provident Fund either with EPFO or Exempted Trust prior to 01.08.2025 and
- their Contribution is received in EPFO or exempted trust for the first time for the wage month August 2025 or thereafter.

5. Who is Re-Joinee?

Answer: Any employee,

- with a previous contributory membership of Employees Provident Fund either with EPFO or Exempted Trust and with a previous contributory membership of Employees Provident Fund either with EPFO or Exempted Trust and
- joins an establishment covered under EPF and MP Act between 01.08.2025 to 31.07.2027.

6. What is EPF Wage?

Answer:

"EPF Wage" means the wage on which contribution is paid in terms of Section 6 of the EPF and MP Act, 1952

How will the EPF Wage be decided for incentive purposes?

What is meant by "Completed Wage Month" for the purpose of the scheme?"

Scheme Guidelines Related

7. What is the “Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana” announced in budget 2024-25?

Answer: The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana is a central sector scheme.

8. What are the main objectives of this scheme?

Answer: The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been designed to stimulate sustained additional employment creation and leverage EPFO enrollment to promote formalization of the workforce, a critical step toward ensuring social security and structured employment within the organized sector by providing incentives to employees and establishments.

It supports first-time employees in their skilling journey and incentivizes establishments to create new jobs, with a special focus on labor-intensive manufacturing sectors to complement the National Manufacturing Mission.

9. How many parts are there in the “Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana”?

Answer:

The scheme consists of two parts:

Part A – First Timer - Provides an incentive to assist first-timer employees in navigating their learning curve before they become fully productive with completing their financial literacy course over EPO portal.

Part B – Support to Establishments with Focus on manufacturing - Aims to support sustained additional employment across all sectors and specifically provides longer incentives to establishments in the manufacturing sector.

It will incentivize establishments for 02 years for the creation of additional employment. For the establishments engaged in the manufacturing sector, the incentives will be provided for 04 years

10. What is the start date of the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana”?

Answer: The start date of the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana 01.08.2025.

11. What is the Registration Period?

Answer: The registration period under the scheme is for two years from 01.08.2025 for the establishments engaged in all sectors.

12. What is the incentive period under the Part of B Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana”?

Answer: Under Part B the incentive period is for 02 years for all sectors and 04 Years for the establishments engaged in Manufacturing Sector.

13. How to register in EPFO?

Answer: Any Establishment can register with EPFO through SPICe+ portal of Ministry of Corporate Affairs or Sharm Suvidha Portal of Ministry of Labour & Employment.

14. What details are required for availing the benefit of Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana”?

Answer: The establishment is required to provide details of PAN/TIN, GSTN, PAN linked Bank Account Number.

15. How manufacturing sector will be decided?

Answer: “Manufacturing” means and includes activities as defined in Section 2(72) of Central Goods and Service Tax Act, 2017 as well as mentioned in GSTN certificate of the Establishment.

16. Which document will be used to verify employer and employee contributions in EPFO for calculating incentives, baseline, threshold, or other eligibility criteria under the scheme?

Answer: The “Electronic Challan cum Return (ECR) along with contributions” submitted online by the establishment each month will be used to verify contributions of both employers and employees.

17. How does the scheme ensure transparency in incentive disbursal?

Answer: Incentives will be disbursed only through Direct Benefit Transfer (DBT) using Adhar Bridge Payment System directly into the Aadhar-seeded bank account of the First Timers and directly in to the PAN-linked bank account of the employers.

18. How does the scheme address concerns about temporary or unsustainable job creation?

Answer: Eligibility for Part B requires establishments to sustain new employees for at least six months above the baseline.

19. Are exempted establishments included, and how are they monitored?

Answer: Yes, Exempted establishments under the EPF & MP Act, 1952, must file returns and open UANs through EPFO for all their employees, ensuring compliance and transparency in availing benefits.

20. How do exempted establishments register for the scheme?

Answer: Filing ECR: They must file the Employee Contribution Report (ECR) without contributions in the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), providing details of all their employees, including First Timers.

Aadhaar Authentication: For smooth implementation and transparency, exempted establishments are required to open Aadhaar authenticated Universal Account Numbers (UAN) through EPFO for all existing and new employees.

REGISTRATION

21. How employees can register to avail benefits under Part A?

Answer: There is no registration process for the employees. They will be provided incentive on the basis of ECR filed by their establishment with EPFO.

22. Whether Existing Establishments Registered with EPFO are Required to Register Anew Under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana?

Answer: No. Establishments already registered with the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) are not required to undergo fresh registration under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. However, these establishments are required to furnish the following details:

- PAN of the establishment
- GSTN (Goods and Services Tax Number)
- PAN-linked bank account number of the employer

23. How Can a New Establishment Register with EPFO to Avail Benefits Under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana?

Answer: No separate process is required. New establishments registering through the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour & Employment or the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Portal are automatically allotted an PF Code/EPF number at the time of incorporation or registration.

Employer Related

24. To which establishments does the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana apply?

Answer: The scheme applies to all establishments that are covered under the EPF&MP Act, 1952, including:

- Exempted establishments under Section 17 of the Act Subject to fulfilling all applicability conditions laid out in the scheme guidelines.

25. What is the baseline for calculating additionality under Part B of the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana?

Answer: The baseline is the average number of employees considered for an establishment to measure net additional employment for incentive eligibility

26. How is the baseline calculated for Existing Establishments?

Answer: For establishments registered with EPFO prior to 31.07.2024 and regularly filing ECRs with contributions:

The baseline = Average number of employees as per ECRs over the 12 months from 01.08.2024 to 31.07.2025

The baseline will be the average number of employees based on filed Electronic Challan-cum>Returns (ECRs) for the 12 months preceding the scheme start date 01.08.2025. ECRs with contributions must have been filed for all 12 preceding months.

27. How is the baseline calculated for establishments registered between 01.08.2024 and 31.07.2025?

Answer: Baseline will be the average number of employees for the months from the date of registration till 31.07.2025, based on ECRs filed with contributions.

The baseline will be the average number of employees from the date of EPFO registration till 01.08.2025. ECRs with contributions must be filed for all completed months during this period.

28. What is the baseline for New Establishments registered between 01.08.2025 and 31.07.2027?

Answer: The base line is fixed at 20 employees.

29. Are only employees with contributions counted for eligibility?

Answer: Yes. Only employees for whom contributions are paid through ECR in EPFO or Exempted Trust are counted for additionality, and eligibility calculations.

30. Can the baseline change if revised ECRs are filed?

Answer: No, the baseline remains unchanged once calculated. However, if revised ECRs show a higher number of employees, that higher number will be considered for all scheme purposes.

31. What are the key conditions for establishment eligibility under Part B?

Answer: The establishment must hire and sustain new employees (First Timers and Re-joiners) for at least six months beyond the baseline number of employees and meet the threshold criteria based on baseline numbers.

32. What is the threshold criterion for Part B?

Answer:

- For establishments with a baseline less than 50 employees: Must add at least 2 employees over baseline.
- For establishments with a baseline 50 or more employees: Must add at least 5 employees over baseline.

33. What is the upper limit of Threshold criteria in Part B for additional employment generation?

Answer: There is no upper limit.

34. Can an employee with Gross Wages above ₹1 lakh be counted for threshold calculation under Part B?

Answer: Yes. Employees with gross wages above ₹1 lakh at the time of joining will be counted for calculating threshold/additionality, but no incentive will be paid in respect of them under the scheme.

35. Are there any wage limits for employees counted for benefits?

Answer: Yes. Benefits will be provided in respect of only those First Timers and Re-joiners whose gross wages are up to ₹1 lakh at the time of joining and who complete six months of employment.

36. How long is the benefit period for existing and new establishments?

Answer:

- Existing establishments: Benefit period counts for 2 years across all sectors.
 - Manufacturing sector: Benefit period counts for 4 years across all sectors.
- New establishments: Benefit period counts from the date of EPFO registration for 2 years across all sectors starts and 4 years for manufacturing sector.

37. What is the periodicity of incentive payment to the establishment ?

Answer: Incentive will be paid to the establishment in lumpsum on six monthly basis as per eligibility.

38. What happens if an establishment does not meet eligibility criteria during some months?

Answer: Benefits stop for those months when the criteria are not met but restart once eligibility is regained. However, the overall scheme benefit period remains fixed.

39. If an establishment dips below the baseline temporarily, how is the benefit calculated?

Answer: If the net employee strength falls below the baseline, the establishment will not be eligible for incentive for that period. Once net strength rises above baseline and the threshold condition is met again, benefits resume — but the scheme period remains fixed and no extension is granted for the lost period.

40. Can an establishment with the same PAN but different locations avail benefits separately?

Answer: No, all establishments with the same PAN will be considered as a single entity for scheme purposes.

41. Are establishments with fewer than 20 employees covered under EPFO eligible for incentives under the scheme?

Answer: Yes. Establishments registered with EPFO before 01.08.2025 even with employees less than 20 are eligible to avail benefits provided they meet the other criteria of scheme guidelines.

42. What happens if an establishment goes bankrupt or enters insolvency during the scheme period?

Answer: If an employer is declared bankrupt or enters into insolvency proceedings, the establishment may become ineligible for further incentives under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. However, if the establishment continues to make regular EPF contributions for eligible employees despite insolvency proceedings, the incentive will continue.

43. What happens if an establishment changes its Bank Account ?

Answer: If an establishment registered under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana changes its bank account it has to update its account details, and any other details required. Upon successful verification, future incentive payments are redirected to the updated account. Failure to update may lead to delay or non-payment of incentive installments.

44. Is there a time limit for filing of ECRs

Answer: Establishments must file ECRs in time.

45. If an employee works for 3 months in one establishment and then 3 months in another unit of the same establishment but with different PAN, is the establishment eligible for incentive for these employees?

Answer: No. The scheme does not provide benefit to the establishment if the 6-month requirement is met across multiple units having different PAN of the establishments.

Employee Related

46. Where will the FAT (Facial Authentication Technology) be available for employee UAN authentication?

Answer: The FAT facility provided on UMANG App will be utilized UAN authentication.

47. How is the incentive under Part A paid to the First Timer?

Answer: It is paid in two instalments directly into the Aadhar seeded bank account of the employees.

48. How many times incentive will be paid to the Employee during the scheme registration period?

Answer: It is a one time incentive to all the eligible First Timers.

49. What conditions must be met for the Second instalment payment?

Answer:

The First Timer must:

- Complete the Financial Literacy Course, and
- Have worked for 12 completed months in the same establishment and all 12 months of ECR with contributions is filed by the establishment.

50. How is the second instalment handled?

Answer: The second instalment is held in a designated savings or deposit account for a period as specified in future guidelines issued by the Ministry of Labour & Employment.

51 What is the “Financial Literacy Course”?

Answer: A mandatory online course covering personal finance, savings, investments, etc. available on EPFO website.

52. What is the maximum incentive payable to a First Timer under Part A?

Answer: The incentive is equal to one completed month's EPF wage, subject to a maximum of ₹15,000.

53. Is there any base line for the establishment for incentive to the employee?

Answer: No.

54. Is Aadhaar authentication required for eligibility?

Answer: Yes. Only those with FAT authenticated UAN are eligible for benefits.

55. What happens if an employee leaves voluntarily or due to unforeseen circumstances?

Answer: If a First Timer leaves the establishment voluntarily or due to unforeseen circumstances before 06 months then they are not eligible for first installment.

If a First Timer leaves the establishment voluntarily or due to unforeseen circumstances after 06 months but before 12 months then they are not eligible for second installment.

56. An employee has a UAN but never contributed to EPFO or any exempted trust, can they be considered a First Timer?

Answer: If the employee has a UAN but has never had contributions credited to EPFO or an Exempted Trust before the scheme's start date, and the first contribution is received during the scheme registration period, they are considered a First Timer under the scheme.

They will become eligible for the incentives under Part A, provided all other conditions (biometric Aadhaar authentication, continuous ECRs, completion of Financial Literacy course, etc.) are fulfilled.

57. Can an employee who has worked in an exempted establishment earlier qualify as First Timer?

Answer: If an employee was previously a contributing member in an Exempted Trust and now joins EPFO or vice versa, they cannot qualify as a First Timer.

58. If an employee works for 3 months in one establishment and then 3 months in another, are they eligible for incentive under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in Part A?

Answer: They must complete 6 months of employment in the same establishment for first installment and 12 months of employment also in the same establishment for second installment

59. What is meant by “Completed Wage Month” for the purpose of determining eligibility under the scheme?

Answer: Completed Wage Month refers to a full calendar month** for which an employer has filed the Electronic Challan-cum-Return (ECR) with the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) in respect of the employee.

For the purposes of calculating benefits under the scheme:

If the employee joins on or before the 5th day of a month, then that month shall be treated as the first Completed Wage Month. If the employee joins after the 5th day of a month, then the following month be treated as the first Completed Wage Month.

Payment of Incentives

60. How and when are incentives paid under the scheme?

Answer: Incentives will be paid within 45 days after the establishment or employee fulfills the eligibility conditions and establishment files the paid ECR, as per the defined periodicity of the scheme.

61. What is the mode of payment for employee incentives?

Answer: Incentives for employees are paid via Direct Benefit Transfer (DBT) through the Aadhaar Bridge Payment System to their Aadhaar-seeded bank accounts.

62. How are incentives paid to the establishments?

Answer: Incentives to establishments are paid via Direct Benefit Transfer (DBT) to the PAN/TAN-linked bank account of the establishment.

63. What happens if an employee's bank account is not linked with Aadhaar?

Answer: Payment of incentives to the employee will be suspended until the bank account is Aadhaar-seeded. However, incentives will continue to accrue. Once Aadhaar seeding is done, all pending payments, including arrears, will be released as per the scheme guidelines.

64. Under what circumstances will payment of incentives cease under the scheme?

Answer: Incentives, to the employee or employer as the case may be, will stop if:

- A First Timer leaves the employment voluntarily or otherwise.
- The beneficiary (employee) passes away or in case of similar eventualities.
- The establishment closes down or is wound up.
- There is any misrepresentation or fraud detected

65. How the benefits will be calculated if the few existing employees (i.e. joined before 01.08.25) leave or retire?

Answer: The payment of incentive will be done only on the basis of Net employment generated above the baseline as calculated and meeting of threshold criteria.

66. Under Part A in death cases if the employee was eligible for 1st instalment or 2nd instalment as the case may be and before the incentive is credited to the Bank account of the employee will the nominee receive the incentive?

Answer: Yes.

67. What if an employee joins after the scheme registration period?

Answer: Employees who join the establishment after the end of the Scheme registration period are not eligible for incentive benefits under the Scheme. However, for incentive to the establishment such employees will be counted while calculating the Net Additional Employment over and above the baseline and determining threshold fulfillment.

68. Can an establishment receive incentives if Net Additional Employment is zero or negative?

Answer: No. The scheme specifies that an establishment will be eligible to receive benefit under the scheme only once it meets the baseline and threshold criteria and has net addition of employment.

69. For the purpose of EPF wage calculation under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, what if the employee's contribution is higher than the employer's or vice versa?

Answer: In cases where the employee and employer contributions differ, the EPF wage shall be considered based on the lesser of the two. This is to ensure uniformity in wage calculation and avoid inflation of reported wages through higher voluntary contributions by employees.

70. Whether the principal employer who generates employment or the outsourcing agency who provides employees to the establishment get incentives under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana?

Answer: The establishment who files the ECR with contribution will only be eligible to claim incentives under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana.

Process Related

71. How the employee can generate UAN?

Answer: The employee is required to generate UAN using FAT facility as provided on UMANG App and provide the UAN so generated to the employer for filing of ECRs and payment of contributions.

72. Whether an employee who has generated their own UAN using the UMANG App with Face Authentication can be linked to the employer's establishment for verification and hence claim benefits under the scheme?

Answer: Yes.

PROVISIONS AND EXEMPTED ESTABLISHMENTS

73. Are exempted establishments eligible for benefits under the scheme?

Answer: Yes, all exempted establishments under the EPF & MP Act, 1952, are eligible to avail benefits under this scheme.

74. How exempted establishments will file ECRs to avail benefits under the scheme?

Answer: Exempted establishments must file returns as prescribed by EPFO for each month to avail benefits. For baseline calculation, they need to submit ECRs with employee details for the 12 months preceding August 2025 (from August 2024 to July 2025).

75. Is Aadhaar authentication required for employees of exempted establishments?

Yes, exempted establishments are required to open Aadhaar-authenticated Universal Account Numbers (UANs) for all existing and new employees through EPFO. The FAT facility on the UMANG portal can be used to register these employees.

76. How do exempted establishments register for the scheme?

Answer: There is no separate requirement for registration under the scheme. All the establishments including the exempted establishments are deemed to be registered under the scheme. They are required to take following actions:

- **Filing ECR:** They must file the Employee Contribution Report (ECR) without contributions in the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), providing details like joining date, amount of gross salary, amount of contribution etc of all their employees, including First Timers.
- **Timely Submission:** For calculation of baseline, the exempted establishments are required to file ECRs for 12 months from wage month of August, 2024 to July, 2025 and for availing incentives under the Scheme, they have to file ECRs providing all the details of their employees (existing & new) regularly with EPFO. For incentives under Part A of the scheme, exempted establishments are required to file 12 months' ECRs within 18 months from the date of joining of each First Timer in the establishment. Out of these 12 months' ECRs, first installment under Part A will be provided to the First timers only after receipt of six continuous months' ECRs. However, second instalment will become eligible after filing of total 12 months' ECRs filed during period of 18 months. This relaxation is only for providing incentives under Part A.
- **Aadhaar Authentication:** For smooth implementation and transparency, exempted establishments are required to open Aadhaar authenticated Universal Account Numbers (UAN) through EPFO for all existing and new employees.
Further, all exempted establishments are required to provide details like GSTN Certificate, PAN number, PAN linked Bank Account Number etc.

GRIEVANCE REDRESSAL

77. What grievance redressal mechanisms are in place for stakeholders?

Answer: EPFO provides an online grievance portal to address issues like eligibility, applicability, or non-receipt of benefits, with an escalation matrix to allow stakeholders to appeal unresolved grievances, ensuring transparency and accountability. <https://epfigms.gov.in/>

78 What if there's a grievance or dispute?

Answer: EPFO provides online grievance redressal facility.

IT SYSTEM RELATED

79. How IT system will be used for effective implementation of Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana?

Answer: The IT system being developed for effective implementation of the scheme will decide all the main criterion of the scheme like Baseline, eligibility of the employees under Part A, eligibility of the employer for incentive during each month under Part B, calculation of amount of incentive during each month, net additionality during each month, compliance with threshold criteria for each month etc.

XXXXX

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमबीबी)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया)

1. यूएन क्या है?

उत्तर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी को आवंटित आधार प्रमाणित अद्वितीय खाता संख्या।

2. "इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न" क्या है?

उत्तर: नियोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन मासिक अंशदान प्रस्तुत करना।

3. सकल वेतन क्या है?

उत्तर: सकल वेतन का अर्थ है रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त सभी परिलब्धियां।

4. पहली बार कौन आया है?

उत्तर: कोई भी कर्मचारी,

- किसी प्रतिष्ठान में शामिल होने की तिथि 01.08.2025 और 31.07.2027 के बीच हो (दोनों तिथियां सम्मिलित) और
- जो 01.08.2025 से पहले ईपीएफओ या छूट प्राप्त ट्रस्ट के साथ कर्मचारी भविष्य निधि का योगदानकर्ता सदस्य नहीं था और
- उनका अंशदान ईपीएफओ या छूट प्राप्त ट्रस्ट में वेतन माह अगस्त 2025 या उसके बाद पहली बार प्राप्त होता है।

5. पुनः शामिल होने वाला व्यक्ति कौन है?

उत्तर: कोई भी कर्मचारी,

- कर्मचारी भविष्य निधि की पूर्व अंशदायी सदस्यता के साथ या तो ईपीएफओ या छूट प्राप्त ट्रस्ट के साथ और
- कर्मचारी भविष्य निधि की पूर्व अंशदायी सदस्यता के साथ या तो ईपीएफओ या छूट प्राप्त ट्रस्ट के साथ और
- 01.08.2025 से 31.07.2027 के बीच ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठान में शामिल होता है।

6. ईपीएफ वेतन क्या है?

उत्तर:

"ईपीएफ वेतन" का अर्थ वह वेतन है जिस पर ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अनुसार अंशदान का भुगतान किया जाता है।

प्रोत्साहन प्रयोजनों के लिए ईपीएफ वेतन का निर्धारण कैसे किया जाएगा?

योजना के प्रयोजन के लिए "पूर्ण वेतन माह" से क्या तात्पर्य है?

योजना दिशानिर्देश संबंधित

7. व्हाट इस थे "प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अनाउंसड इन बजट 2024-25"?

उत्तर: प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम.

8. इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना को निरंतर अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ईपीएफओ नामांकन का लाभ उठाने के लिए तैयार किया गया है, जो कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन प्रदान करके संगठित क्षेत्र के भीतर सामाजिक सुरक्षा और संरचित रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनके कौशल विकास में सहायता प्रदान करता है तथा प्रतिष्ठानों को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के पूरक के रूप में श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

9. हो मान्य पार्ट्स अरे तेरे इन थे "प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना"?

उत्तर: इस योजना के दो भाग हैं:

भाग ए-प्रथम टाइमर ईपीओ पोर्टल पर अपने वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ पूरी तरह से उत्पादक बनने से पहले पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को उनके सीखने की अवस्था को नेविगेट करने में सहायता करने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करता है।

भाग बी विनिर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने वाले प्रतिष्ठानों को समर्थन - इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में निरंतर अतिरिक्त रोजगार को समर्थन प्रदान करना है तथा विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिष्ठानों को दीर्घकालिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।

यह अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु प्रतिष्ठानों को 2 वर्षों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठानों को यह प्रोत्साहन 4 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।

10. व्हाट इस थे स्टार्ट डेट ऑफ थे प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना"?

उत्तर: थे स्टार्ट डेट ऑफ़ थे प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 01.08.2025.

11. पंजीकरण अवधि क्या है?

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से दो वर्ष के लिए है।

12. व्हाट इस थे इंसेंटिव पीरियड अंडर थे पार्ट ऑफ बी प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना"?

उत्तर: भाग-बी के अंतर्गत प्रोत्साहन अवधि सभी क्षेत्रों के लिए 02 वर्ष तथा विनिर्माण क्षेत्र में लगे प्रतिष्ठानों के लिए 04 वर्ष है।

13. ईपीएफओ में पंजीकरण कैसे करें?

उत्तर: कोई भी प्रतिष्ठान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के SPICE+ पोर्टल या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शर्म सुविधा पोर्टल के माध्यम से ईपीएफओ के साथ पंजीकरण कर सकता है।

14. व्हाट डीटेल्स अरे रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग थे बेनिफिट ऑफ़ प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?

उत्तर: प्रतिष्ठान को पैन/टिन, जीएसटीएन, पैन लिंकड बैंक खाता संख्या का विवरण प्रदान करना आवश्यक है।

15. विनिर्माण क्षेत्र का निर्णय कैसे किया जाएगा?

उत्तर: "विनिर्माण" से तात्पर्य केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2(72) में परिभाषित तथा प्रतिष्ठान के जीएसटीएन प्रमाण पत्र में उल्लिखित गतिविधियों से है।

16. योजना के तहत प्रोत्साहन, आधार रेखा, सीमा या अन्य पात्रता मानदंडों की गणना के लिए ईपीएफओ में नियोक्ता और कर्मचारी योगदान को सत्यापित करने के लिए किस दस्तावेज़ का उपयोग किया जाएगा?

उत्तर: प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक माह ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने वाले "इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) तथा अंशदान" का उपयोग नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के अंशदानों को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा।

17. योजना प्रोत्साहन राशि के वितरण में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करती है?

उत्तर: प्रोत्साहन राशि का वितरण केवल आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे पहले बार नौकरी पाने वालों के आधार-सीडेड बैंक खाते में और सीधे नियोक्ताओं के पैन-लिंकड बैंक खाते में किया जाएगा।

18. यह योजना अस्थायी या अस्थिर नौकरी सृजन के बारे में चिंताओं को कैसे दूर करती है?

उत्तर: भाग ब के लिए पात्रता हेतु प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों को आधारभूत स्तर से कम से कम छह महीने अधिक तक बनाए रखना आवश्यक है।

19. क्या छूट प्राप्त प्रतिष्ठान शामिल हैं, और उनकी निगरानी कैसे की जाती है?

उत्तर: हाँ, ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को रिटर्न दाखिल करना होगा और लाभ प्राप्त करने में अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के माध्यम से यूएएन खोलना होगा।

20. छूट प्राप्त प्रतिष्ठान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करते हैं?

उत्तर: ईसीआर दाखिल करना: उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में बिना योगदान के कर्मचारी योगदान रिपोर्ट (ईसीआर) दाखिल करनी होगी, जिसमें पहले बार नौकरी पाने वालों सहित अपने सभी कर्मचारियों का विवरण प्रदान करना होगा। आधार प्रमाणीकरण: सुचारू कार्यान्वयन और पारदर्शिता के लिए, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के माध्यम से आधार प्रमाणित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) खोलना आवश्यक है।

पंजीकरण

21. कर्मचारी भाग अ के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?

उत्तर: कर्मचारियों के लिए कोई पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है। उन्हें ईपीएफओ के साथ अपने प्रतिष्ठान द्वारा दायर ईसीआर के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

22. क्या ईपीएफओ के साथ पंजीकृत मौजूदा प्रतिष्ठानों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नए सिरे से पंजीकरण करने की आवश्यकता है?

उत्तर: नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पहले से पंजीकृत प्रतिष्ठानों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नए सिरे से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इन प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने होंगे:

- प्रतिष्ठान का पैन
- जीएसटीएन (माल और सेवा कर संख्या)
- नियोक्ता का पैन-लिंकड बैंक खाता संख्या

23. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया प्रतिष्ठान ईपीएफओ के साथ कैसे पंजीकरण कर सकता है?

उत्तर: किसी अलग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करने वाले नए प्रतिष्ठानों को निगमन या पंजीकरण के समय स्वचालित रूप से पीएफ कोड/ईपीएफ नंबर आवंटित किया जाता है।

नियोक्ता संबंधित

24. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना किन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है?

उत्तर: यह योजना उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जो ईपीएफ&एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आते हैं, जिनमें शामिल हैं:

अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान, बशर्ते योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी प्रयोज्यता शर्तों को पूरा किया जाए।

25. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के भाग ब के तहत अतिरिक्तता की गणना के लिए आधारभूत रेखा (बेसलाइन) क्या है?

उत्तर: आधारभूत रेखा प्रोत्साहन पात्रता के लिए निवल अतिरिक्त रोज़गार को मापने हेतु एक प्रतिष्ठान के लिए माने गए कर्मचारियों की औसत संख्या है।

26. मौजूदा प्रतिष्ठानों के लिए आधारभूत रेखा की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर: 31.07.2024 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत और नियमित रूप से योगदान के साथ ईसीआर दाखिल करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए:

आधारभूत रेखा योजना शुरू होने की तारीख 01.08.2025 से पहले के 12 महीनों के लिए दाखिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरण (ईसीआर) के आधार पर कर्मचारियों की औसत संख्या होगी। योगदान के साथ ईसीआर सभी 12 पूर्ववर्ती महीनों के लिए दाखिल किए जाने चाहिए।

27. 01.08.2024 और 31.07.2025 के बीच पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए आधारभूत रेखा की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर: आधारभूत रेखा पंजीकरण की तारीख से 31.07.2025 तक के महीनों के लिए कर्मचारियों की औसत संख्या होगी, जो योगदान के साथ दाखिल ईसीआर पर आधारित होगी।

आधारभूत रेखा ईपीएफओ पंजीकरण की तारीख से 01.08.2025 तक के कर्मचारियों की औसत संख्या होगी। इस अवधि के दौरान सभी पूर्ण महीनों के लिए योगदान के साथ ईसीआर दाखिल किए जाने चाहिए।

28. 01.08.2025 और 31.07.2027 के बीच पंजीकृत नए प्रतिष्ठानों के लिए आधारभूत रेखा क्या है?

उत्तर: आधारभूत रेखा 20 कर्मचारियों पर निर्धारित है।

29. क्या पात्रता के लिए केवल योगदान वाले कर्मचारियों की ही गिनती की जाती है?

उत्तर: हाँ। केवल वे कर्मचारी जिनके लिए ईपीएफओ या छूट प्राप्त ट्रस्ट में ईसीआर के माध्यम से योगदान का भुगतान किया जाता है, उन्हें अतिरिक्तता और पात्रता गणना के लिए गिना जाता है।

30. यदि संशोधित ईसीआर दाखिल किए जाते हैं तो क्या आधारभूत रेखा बदल सकती है?

उत्तर: नहीं, एक बार गणना के बाद आधारभूत रेखा अपरिवर्तित रहती है। हालांकि, यदि संशोधित ईसीआर में कर्मचारियों की अधिक संख्या दिखाई देती है, तो उस उच्च संख्या को सभी योजना उद्देश्यों के लिए माना जाएगा।

31. भाग ब के तहत प्रतिष्ठान पात्रता के लिए मुख्य शर्तें क्या हैं?

उत्तर: प्रतिष्ठान को कर्मचारियों की आधारभूत संख्या से परे कम से कम छह महीने के लिए नए कर्मचारियों (फर्स्ट टाइमर्स और फिर से जुड़ने वाले) को नियुक्त करना और बनाए रखना चाहिए और आधारभूत संख्या के आधार पर निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

32. भाग ब के लिए निर्धारित मानदंड क्या है?

उत्तर: जिन प्रतिष्ठानों की आधारभूत रेखा 50 से कम कर्मचारी है: आधारभूत रेखा से कम से कम 2 कर्मचारी अधिक जोड़ने होंगे।

जिन प्रतिष्ठानों की आधारभूत रेखा 50 या अधिक कर्मचारी है: आधारभूत रेखा से कम से कम 5 कर्मचारी अधिक जोड़ने होंगे।

33. अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए भाग ब में निर्धारित मानदंडों की ऊपरी सीमा क्या है?

उत्तर: कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

34. क्या भाग ब के तहत निर्धारित गणना के लिए ₹1 लाख से अधिक सकल वेतन वाले कर्मचारी को गिना जा सकता है?

उत्तर: हाँ। शामिल होने के समय ₹1 लाख से अधिक सकल वेतन वाले कर्मचारियों को निर्धारित/अतिरिक्तता की गणना के लिए गिना जाएगा, लेकिन योजना के तहत उनके संबंध में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

35. क्या लाभ के लिए गिने जाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई वेतन सीमा है?

उत्तर: हाँ, लाभ केवल उन फर्स्ट टाइमर्स और फिर से जुड़ने वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रदान किए जाएंगे जिनका सकल वेतन शामिल होने के समय ₹1 लाख तक है और जो छह महीने का रोजगार पूरा करते हैं।

36. मौजूदा और नए प्रतिष्ठानों के लिए लाभ अवधि कितनी लंबी है?

उत्तर: मौजूदा प्रतिष्ठान: सभी क्षेत्रों में लाभ अवधि 2 वर्ष तक मानी जाएगी।

विनिर्माण क्षेत्र: सभी क्षेत्रों में लाभ अवधि 4 वर्ष तक मानी जाएगी।

नए प्रतिष्ठान: लाभ अवधि की गणना ईपीएफओ पंजीकरण की तिथि से सभी क्षेत्रों में 2 वर्ष के लिए तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 वर्ष के लिए शुरू होती है।

37. प्रतिष्ठान को प्रोत्साहन भुगतान की आवधिकता क्या है?

उत्तर: प्रोत्साहन राशि का भुगतान पात्रता के अनुसार छमाही आधार पर प्रतिष्ठान को एकमुश्त किया जाएगा।

38. यदि कोई प्रतिष्ठान कुछ महीनों के दौरान पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो क्या होगा?

उत्तर: जिन महीनों में मानदंड पूरे नहीं होते, उनके लिए लाभ बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन पात्रता पुनः प्राप्त होने पर पुनः शुरू कर दिए जाते हैं। हालाँकि, समग्र योजना लाभ अवधि निश्चित रहती है।

39. यदि कोई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से आधार रेखा से नीचे चला जाता है, तो लाभ की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर: यदि कुल कर्मचारी संख्या आधार रेखा से कम हो जाती है, तो प्रतिष्ठान उस अवधि के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र नहीं होगा। जब कुल कर्मचारी संख्या आधार रेखा से ऊपर हो जाती है और सीमा की शर्त फिर से पूरी हो जाती है, तो लाभ फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन योजना की अवधि स्थिर रहती है और छूटी हुई अवधि के लिए कोई विस्तार नहीं दिया जाता है।

40. क्या एक ही पैन लेकिन अलग-अलग स्थानों वाले प्रतिष्ठान अलग-अलग लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, एक ही पैन वाले सभी प्रतिष्ठानों को योजना के प्रयोजनों के लिए एक ही इकाई माना जाएगा।

41. क्या ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं?

उत्तर: हाँ। 01.08.2025 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान, भले ही उनके कर्मचारियों की संख्या 20 वर्ष से कम हो, लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते वे योजना दिशानिर्देशों के अन्य मानदंडों को पूरा करते हों।

42. यदि कोई प्रतिष्ठान योजना अवधि के दौरान दिवालिया हो जाता है या दिवालियेपन में चला जाता है तो क्या होगा?

उत्तर: यदि किसी नियोक्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या वह दिवालियेपन की कार्यवाही में प्रवेश करता है, तो वह प्रतिष्ठान प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत आगे के प्रोत्साहनों के लिए अयोग्य हो सकता है। हालाँकि, यदि प्रतिष्ठान दिवालियेपन की कार्यवाही के बावजूद पात्र कर्मचारियों के लिए नियमित ईपीएफ अंशदान जारी रखता है, तो प्रोत्साहन जारी रहेगा।

43. यदि कोई प्रतिष्ठान अपना बैंक खाता बदल देता है तो क्या होगा?

उत्तर: यदि प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकृत कोई प्रतिष्ठान अपना बैंक खाता बदलता है तो उसे अपना खाता विवरण तथा अन्य आवश्यक विवरण अद्यतन करना होगा।

सफल सत्यापन के बाद, भविष्य के प्रोत्साहन भुगतान अपडेट किए गए खाते में भेज दिए जाएँगे। अपडेट न करने पर प्रोत्साहन किशतों का भुगतान विलंबित हो सकता है या भुगतान नहीं हो सकता है।

44. क्या ईसीआर दाखिल करने की कोई समय सीमा है?

उत्तर: प्रतिष्ठानों को समय पर ईसीआर दाखिल करना होगा।

45. यदि कोई कर्मचारी एक प्रतिष्ठान में 3 महीने काम करता है और फिर उसी प्रतिष्ठान की किसी अन्य इकाई में 3 महीने काम करता है, लेकिन उसका पैन अलग है, तो क्या प्रतिष्ठान इन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि का पात्र है?

उत्तर: नहीं। यदि 6 महीने की आवश्यकता विभिन्न इकाइयों द्वारा पूरी की जाती है, जिनके प्रतिष्ठानों के अलग-अलग पैन हैं, तो यह योजना प्रतिष्ठान को लाभ प्रदान नहीं करती है।

कर्मचारी संबंधी

46. कर्मचारी यूएन प्रमाणीकरण के लिए एफएटी (फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी) कहां उपलब्ध होगी?

उत्तर: उमंग ऐप पर उपलब्ध कराई गई एफएटी सुविधा का उपयोग यूएन प्रमाणीकरण के लिए किया जाएगा।

47. भाग ए के अंतर्गत प्रथम टाइमर को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर: इसका भुगतान दो किस्तों में सीधे कर्मचारियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।

48. योजना पंजीकरण अवधि के दौरान कर्मचारी को कितनी बार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा?

उत्तर: यह सभी पात्र प्रथम बार आने वालों के लिए एक बार का प्रोत्साहन है।

49. दूसरी किस्त के भुगतान के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए?

उत्तर: प्रथम टाइमर को यह करना होगा:

वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करें, और

एक ही प्रतिष्ठान में 12 महीने तक काम किया हो तथा सभी 12 महीनों का ईसीआर अंशदान सहित प्रतिष्ठान द्वारा दाखिल किया गया हो।

50. दूसरी किस्त का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

उत्तर: दूसरी किस्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी भविष्य के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट बचत या जमा खाते में रखी जाती है।

51. "वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम" क्या है?

उत्तर: व्यक्तिगत वित्त, बचत, निवेश आदि को कवर करने वाला एक अनिवार्य ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है ईपीएफओ वेबसाइट,

52. भाग ए के अंतर्गत प्रथम टाइमर को देय अधिकतम प्रोत्साहन राशि क्या है?

उत्तर: प्रोत्साहन राशि एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर है, जो अधिकतम ₹15,000 तक हो सकती है।

53. क्या कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिष्ठान की कोई आधार रेखा है?

उत्तर: नहीं.

54. क्या पात्रता के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है?

उत्तर: हाँ। केवल F&T प्रमाणित यूएन वाले ही लाभ के पात्र हैं।

55. यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण नौकरी छोड़ देता है तो क्या होगा?

उत्तर: यदि कोई प्रथम टाइमर स्वेच्छा से या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण 06 महीने से पहले प्रतिष्ठान छोड़ देता है तो वे पहली किस्त के लिए पात्र नहीं हैं।

यदि कोई प्रथम बार सदस्य स्वेच्छा से या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण 06 महीने के बाद लेकिन 12 महीने से पहले प्रतिष्ठान छोड़ देता है तो वे दूसरी किस्त के लिए पात्र नहीं होंगे।

56. किसी कर्मचारी के पास यूएन है लेकिन उसने कभी ईपीएफओ या किसी छूट प्राप्त ट्रस्ट में योगदान नहीं किया है, क्या उसे प्रथम बार योगदान देने वाला माना जा सकता है?

उत्तर: यदि कर्मचारी के पास यूएन है, लेकिन योजना की आरंभ तिथि से पहले ईपीएफओ या छूट प्राप्त ट्रस्ट में उसका अंशदान कभी जमा नहीं हुआ है, और योजना पंजीकरण अवधि के दौरान पहला अंशदान प्राप्त हुआ है, तो उन्हें योजना के अंतर्गत प्रथम बार सदस्य माना जाएगा।

वे भाग ए के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र हो जाएंगे, बशर्ते अन्य सभी शर्तें (बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण, निरंतर ईसीआर, वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा करना, आदि) पूरी हो जाएं।

57. क्या कोई कर्मचारी जो पहले किसी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान में काम कर चुका है, प्रथम टाइमर के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकता है?

उत्तर: यदि कोई कर्मचारी पहले किसी छूट प्राप्त ट्रस्ट में अंशदाता सदस्य था और अब ईपीएफओ में शामिल होता है या इसके विपरीत, तो वे प्रथम सदस्य के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते।

58. यदि कोई कर्मचारी एक प्रतिष्ठान में 3 महीने और फिर दूसरे में 3 महीने काम करता है, तो क्या वे भाग ए में प्रधान मंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं?

उत्तर: उन्हें पहली किस्त के लिए उसी प्रतिष्ठान में 6 महीने का रोजगार पूरा करना होगा और दूसरी किस्त के लिए भी उसी प्रतिष्ठान में 12 महीने का रोजगार पूरा करना होगा।

59. योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु "पूर्ण वेतन माह" से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: पूर्ण वेतन माह से तात्पर्य उस पूर्ण कैलेंडर माह से है जिसके लिए नियोक्ता ने कर्मचारी के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) दाखिल किया है।

योजना के अंतर्गत लाभ की गणना के प्रयोजनार्थ:

यदि कर्मचारी किसी महीने की 5 तारीख को या उससे पहले कार्यभार ग्रहण करता है, तो उस महीने को पहला पूर्ण वेतन महीना माना जाएगा। यदि कर्मचारी किसी महीने की 5 तारीख के बाद कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसके बाद वाले महीने को पहला पूर्ण वेतन महीना माना जाएगा।

प्रोत्साहन राशि का भुगतान

60. योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान कैसे और कब किया जाता है?

उत्तर: योजना की निर्धारित आवधिकता के अनुसार, प्रतिष्ठान या कर्मचारी द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा करने तथा प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान की गई ईसीआर दाखिल करने के 45 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

61. कर्मचारी प्रोत्साहन के लिए भुगतान का तरीका क्या है?

उत्तर: कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली के माध्यम से उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।

62. प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?

उत्तर: प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिष्ठान के पैन/टैन से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।

63. यदि किसी कर्मचारी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो क्या होगा?

उत्तर: बैंक खाते के आधार से जुड़ने तक कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान निलंबित रहेगा। हालाँकि, प्रोत्साहन राशि मिलती रहेगी। आधार से जुड़ने के बाद, बकाया राशि सहित सभी लंबित भुगतान योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी कर दिए जाएंगे।

64. किन परिस्थितियों में योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद कर दिया जाएगा?

उत्तर: कर्मचारी या नियोक्ता को मिलने वाले प्रोत्साहन, जैसा भी मामला हो, बंद हो जाएंगे यदि:

- पहली बार नौकरी करने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से या अन्यथा नौकरी छोड़ देता है।
- लाभार्थी (कर्मचारी) की मृत्यु हो जाने पर या इसी प्रकार की अन्य स्थिति में।
- प्रतिष्ठान बंद हो जाता है या बंद हो जाता है।
- क्या कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी पाई गई है?

65. यदि कुछ मौजूदा कर्मचारी (अर्थात् 01.08.25 से पहले शामिल हुए) छोड़ देते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो लाभ की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर: प्रोत्साहन का भुगतान केवल आधार रेखा से ऊपर सृजित शुद्ध रोजगार तथा प्रारंभिक मानदंडों की पूर्ति के आधार पर किया जाएगा।

66. भाग ए के अंतर्गत मृत्यु के मामलों में यदि कर्मचारी प्रथम किस्त या द्वितीय किस्त के लिए पात्र था, जैसा भी मामला हो और प्रोत्साहन राशि कर्मचारी के बैंक खाते में जमा होने से पहले, क्या नामांकित व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी?

उत्तर: हाँ.

67. यदि कोई कर्मचारी योजना पंजीकरण अवधि के बाद इसमें शामिल होता है तो क्या होगा?

उत्तर: योजना पंजीकरण अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिष्ठान में शामिल होने वाले कर्मचारी इस योजना के तहत प्रोत्साहन लाभ के पात्र नहीं हैं। हालाँकि, प्रतिष्ठान को प्रोत्साहन देने के लिए, ऐसे कर्मचारियों को आधार रेखा के अतिरिक्त शुद्ध अतिरिक्त रोजगार की गणना और सीमा पूर्ति का निर्धारण करते समय गिना जाएगा।

68. क्या कोई प्रतिष्ठान प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है यदि शुद्ध अतिरिक्त रोजगार शून्य या ऋणात्मक है?

उत्तर: नहीं। योजना में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होगा जब वह आधारभूत और सीमांत मानदंडों को पूरा करेगा तथा उसमें रोजगार में शुद्ध वृद्धि होगी।

69. प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के अंतर्गत ईपीएफ वेतन गणना के प्रयोजन के लिए, यदि कर्मचारी का अंशदान नियोक्ता से अधिक है या इसके विपरीत, तो क्या होगा?

उत्तर: ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान अलग-अलग होता है, ईपीएफ वेतन दोनों में से जो कम हो, उसके आधार पर माना जाएगा। ऐसा वेतन गणना में एकरूपता सुनिश्चित करने और कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान बढ़ाकर रिपोर्ट किए गए वेतन में वृद्धि से बचने के लिए किया जाता है।

70. क्या प्रधान नियोक्ता जो रोजगार सृजित करता है या आउटसोर्सिंग एजेंसी जो प्रतिष्ठान को कर्मचारी उपलब्ध कराती है, को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन मिलता है?

उत्तर: जो प्रतिष्ठान अंशदान के साथ ईसीआर दाखिल करेगा, केवल वही प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र होगा।

प्रक्रिया संबंधी

71. कर्मचारी यूएन कैसे जनरेट कर सकता है?

उत्तर: कर्मचारी को उमंग ऐप पर उपलब्ध कराई गई एफएटी सुविधा का उपयोग करके यूएन तैयार करना होगा तथा ईसीआर दाखिल करने और अंशदान के भुगतान के लिए नियोक्ता को यूएन उपलब्ध कराना होगा।

72. क्या किसी कर्मचारी ने चेहरे के प्रमाणीकरण के साथ उमंग ऐप का उपयोग करके अपना स्वयं का यूएन बनाया है, उसे सत्यापन के लिए नियोक्ता के प्रतिष्ठान से जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार योजना के तहत लाभ का दावा किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ.

प्रावधान और छूट प्राप्त प्रतिष्ठान

73. क्या छूट प्राप्त प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र हैं?

उत्तर: हाँ, ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत सभी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

74. योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्राप्त प्रतिष्ठान ईसीआर कैसे दाखिल करेंगे?

उत्तर: छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह ईपीएफओ द्वारा निर्धारित रिटर्न दाखिल करना होगा। आधारभूत गणना के लिए, उन्हें अगस्त 2025 से पहले के 12 महीनों (अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक) के लिए कर्मचारी विवरण के साथ ईसीआर जमा करना होगा।

75. क्या छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को ईपीएफओ के माध्यम से सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए आधार-प्रमाणित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) खोलना आवश्यक है। इन कर्मचारियों को पंजीकृत करने के लिए उमंग पोर्टल पर एफएटी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

76. छूट प्राप्त प्रतिष्ठान इस योजना के लिए कैसे पंजीकरण कराते हैं?

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए कोई अलग आवश्यकता नहीं है। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों सहित सभी प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत माने जाएँगे। उन्हें निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- ईसीआर दाखिल करना: उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अंशदान के बिना कर्मचारी अंशदान रिपोर्ट (ईसीआर) दाखिल करनी होगी, जिसमें पहली बार नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों सहित, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सकल वेतन की राशि, अंशदान की राशि आदि जैसे विवरण उपलब्ध कराने होंगे।
- समय पर प्रस्तुतिकरण: आधार रेखा की गणना के लिए, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को अगस्त, 2024 के वेतन माह से जुलाई, 2025 तक 12 महीनों के लिए ईसीआर दाखिल करना आवश्यक है और योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, उन्हें अपने कर्मचारियों (मौजूदा और नए) के सभी विवरण प्रदान करते हुए नियमित रूप से ईपीएफओ के साथ ईसीआर दाखिल करना होगा। योजना के भाग ए के तहत प्रोत्साहन के लिए, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को प्रतिष्ठान में प्रत्येक पहली बार शामिल होने वाले व्यक्ति के शामिल होने की तारीख से 18 महीने के भीतर 12 महीने की ईसीआर दाखिल करना आवश्यक है। इन 12 महीनों की ईसीआर में से, भाग ए के तहत पहली किस्त पहली बार काम करने वालों को छह लगातार महीनों की ईसीआर प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की जाएगी। हालांकि, दूसरी किस्त 18 महीने की अवधि के दौरान कुल 12 महीने की ईसीआर दाखिल करने के बाद पात्र हो जाएगी।
- आधार प्रमाणीकरण: सुचारू कार्यान्वयन और पारदर्शिता के लिए, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के माध्यम से आधार प्रमाणित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) खोलना आवश्यक है। इसके अलावा, सभी छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को जीएसटीएन प्रमाणपत्र, पैन नंबर, पैन लिंकड बैंक खाता संख्या आदि जैसे विवरण प्रदान करना आवश्यक है।

शिकायत निवारण

77. हितधारकों के लिए क्या शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर: ईपीएफओ पात्रता, प्रयोज्यता या लाभ न मिलने जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल प्रदान करता है, जिसमें हितधारकों को अनसुलझे शिकायतों के लिए अपील करने की अनुमति देने के लिए एक एस्केलेशन मैट्रिक्स है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। <https://ईपीएफिgms.gov.in/>

78. यदि कोई शिकायत या विवाद हो तो क्या होगा?

उत्तर: ईपीएफओ ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा प्रदान करता है

आईटी सिस्टम से संबंधित

79. प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आईटी प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाएगा?

उत्तर: योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विकसित की जा रही आईटी प्रणाली योजना के सभी मुख्य मानदंड तय करेगी जैसे आधार रेखा, भाग ए के तहत कर्मचारियों की पात्रता, भाग बी के तहत प्रत्येक माह के दौरान प्रोत्साहन के लिए नियोक्ता की पात्रता, प्रत्येक माह के दौरान प्रोत्साहन की राशि की गणना, प्रत्येक माह के दौरान शुद्ध अतिरिक्तता, प्रत्येक माह के लिए सीमा मानदंडों का अनुपालन आदि।

XXXXX